

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्राम पंचायत आरनी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत आरनी, तहसील राशमी  
बनाम

नारायणी देवी पत्नि माधव लाल बैरवा निवासी आरनी, तहसील राशमी

प्रकरण संख्या 187/2022 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष पूर्व पेशी दिनांक 30.05.2024 पर भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अर्थात् उभय पक्ष अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	